POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 16.04.2026

1.थाना सैक्टर -113 पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू, मृतका का मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 16.04.2026 को थाना सेक्टर 113 क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सर्फाबाद में महिला की चाकू मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त मौ0 शफीक उर्फ जावेद पुत्र फतहेहार मोहम्मद उर्फ बुदुल को टिवोली फार्म हाउस के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। जिसके संबंध में थाना सेक्टर 113 पर मु0अ0सं0- 135/2026 धारा 103(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त मौ0 शफीक उर्फ जावेद उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसके व मृतका के पुत्र के साथ समलैंगिक संबंध थे। मृतका को अभियुक्त का उसके बेटे के साथ मिलना जुलना पसंद नही था। अभियुक्त मौ0 शफीक उपरोक्त मृतका के पुत्र से मिल सके इसलिए वह अपनी मौसी की लड़की की शादी मृतका के पुत्र से कराना चाहता था लेकिन मृतका बार-बार इस शादी के लिए मना कर देती थी। दिनांक 15.04.2026 को भी अभियुक्त मौ0 शफीक उर्फ जावेद उपरोक्त मृतका से शादी की बात करने के लिए ही गया था लेकिन मृतका फूलजहाँ ने मना कर दिया जिससे अभियुक्त द्वारा आक्रोश में आकर चाकू से वारकर फूलजहाँ की हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. मौ0 शफीक उर्फ जावेद पुत्र फतहेहार मोहम्मद उर्फ बुदुल निवासी कस्बा गाजीपुर थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर हाल पता गली न0 1/26 किराये के मकान ग्राम सर्फाबाद सैक्टर 73 थाना सैक्टर 113 नोएडा गौ0नगर उम्र 45 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 135/2026 धारा 103(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 113 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक अवैध चाकू (घटना में प्रयुक्त)
2. एक मोबाइल फोन (मृतका का टूटा हुआ)